



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18122021-231979
CG-DL-E-18122021-231979

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4887]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 17, 2021/अग्रहायण 26, 1943

No. 4887]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 17, 2021/AGRAHAYANA 26, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5278(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2928(अ) दिनांक 26.07.2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में NH-148N के कि.मी. 84.84 से कि.मी. 113.6 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामऊ) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का.आ. 2928(अ) दिनांक 26.07.2021 का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 30.07.2021 को दैनिक भास्कर और फ्री प्रेस दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के मन्दसौर जिले में NH-148N के कि.मी. 84.84 से कि.मी. 113.6 (अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सीतामऊ) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।"

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश		जिले का नाम: मन्दसौर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: सीतामऊ				
	गांव का नाम: बरदावदी				
1	173/2	निजी	कृषि / सिंचित	0.1	मांगू पिता काना (173/2)
	गांव का नाम: चाहखेडी				
2	132	निजी	कृषि / सिंचित	0.06	कचरू पिता मोती (132)
3	458/2	निजी	कृषि / सिंचित	0.08	राघु सिंह पिता दुले सिंह (458/2)
	गांव का नाम: दलावदा				
4	302	निजी	कृषि / सिंचित	0.1	भेरुलाल पिता रामनारायण (302/4)
	गांव का नाम: गोपालपुरा				
5	16/1	निजी	कृषि / सिंचित	0.14	देवीलाल पिता बगदीराम (16/1)
6	34/2	निजी	कृषि / सिंचित	0.1	वीरेंद्र सिंह पिता रोडसिंह (34/2)
7	39	निजी	कृषि / सिंचित	0.07	मोहन लाल पिता पूरा लाल (39)

8	41	निजी	कृषि / सिंचित	0.25	मोहन लाल पिता पूरा लाल (41)
	गांव का नाम: महुवा				
9	1293	निजी	कृषि / सिंचित	0.05	चंदर कुँवर बेवा भेरू सिंह, हतेसिंह, बलवंत सिंह, गट्टू सिंह, अमर सिंह पिता भेरू सिंह (1293)
	गांव का नाम: पारली				
10	71	निजी	कृषि / सिंचित	0.12	नन्दुबाई बेवा बिहारी, कारू, राजू, नोजीबाई पिता बिहारी व साबुबाई पिता कन्हैया लाल बंजारा (71/2/min 1)
	गांव का नाम: सांसर पिपलिया				
11	68	निजी	कृषि / सिंचित	0.38	नाथू सिंह पिता भेरू सिंह (68)
	गांव का नाम: तितरोद				
12	1430/2/5	निजी	कृषि / सिंचित	0.25	गुड्डी बाई पति अम्बाराम (1430/2/5)
			कुल	1.7	

[फा. सं. NHAI/PIU-RTM/BM/DVE-MP/2018/LA/3a4/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th December, 2021

S.O. 5278(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S.O. 2928(E) dated 26.07.2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH-148N on the stretch of land from Km. 84.84 to Km. 113.6 (Sub-Divisional Officer (Revenue) Sitamau) in the district of Mandsaur in the state of Madhya Pradesh;

And whereas the substance of the said notification S.O. 2928(E) dated 26.07.2021 has been published in Dainik Bhaskar and Free Press both dated 30.07.2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the NH-148N on the stretch of land from Km. 84.84 to Km. 113.6 (Sub-Divisional Officer (Revenue) Sitamau) in the district of Mandsaur in the state of Madhya Pradesh.

State: MADHYA PRADESH			District: Mandsaur		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sitamau					
Village: Bardawadi					
1	173/2	Private	Agriculture/ Irrigated	0.1	Mangu S/o Kana 173/2
Village: Chahkhedi					
2	132	Private	Agriculture/Irrigated	0.06	Kachru S/O Moti 132
3	458/2	Private	Agriculture/Irrigated	0.08	Raghu singh S/O Dule Singh 458/2
Village: Dalawada					
4	302	Private	Agriculture/ Irrigated	0.1	Bherulal S/O Ramnarayan 302/4
Village: Gopalpura					
5	16/1	Private	Agriculture/ Irrigated	0.14	Devilal S/o Bagdiram 16/1
6	34/2	Private	Agriculture/ Irrigated	0.1	Virendr singh S/O Rod singh 34/2
7	39	Private	Agriculture/ Irrigated	0.07	Mohan Lal S/O Pura lal 39
8	41	Private	Agriculture/ Irrigated	0.25	Mohan Lal S/O Pura lal 41
Village: Mahuwa					
9	1293	Private	Agriculture/Irrigated	0.05	Chandar kunvar beva Bheru singh, Hate singh, Balvant singh,Gattu singh, Amar singh S/O Bheru singh 1293

	Village: Parli				
10	71	Private	Agriculture/ Irrigated	0.12	Nandubai beva Bihari, Karu, Raju, Nojibai S/O Bihari , Sabubai S/O Kanhaiya lal Banjara 71/2/min 1
	Village: Sasar Pipliya				
11	68	Private	Agriculture/ Irrigated	0.38	Nathu singh S/o Bheru singh 68
	Village: Titrod				
12	1430/2/5	Private	Agriculture/ Irrigated	0.25	Guddi bai W/O Ambaram 1430/2/5
			TOTAL	1.7	

[F. No. NHAI/PIU-RTM/BM/DVE-MP/2018/LA/3a4/3D]

RAJESH GUPTA, Director